न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बलिया

जी0आर0– 3886/14

राज्य बनाम इरशादुज्जमा

02/12/2019 काराधीन अभियुक्त चंदन कुमार उर्फ चंदन पासवान की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता मो0 खालिद के द्वारा एक जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन की एक प्रति अभियोजन को दी गई।

जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्त निर्दोष है और वे आपराधिक कार्य नहीं किया है। यह कि अभियुक्त ग्रामीण राजनीतिक के तहत फंसाया गया। यह कि अभियुक्त संज्ञान के बाद सही जानकारी नहीं रहने के कारण अभियुक्त न्यायालय में सही समय पर उपस्थित नहीं हो सका। यह कि अभियुक्त दिनांक– 23/11/2019 से मंडलकारा में बंद है। यह कि अभियुक्त की संज्ञान के बाद प्रथम उपस्थिति है। यह कि अभियुक्त पर लगाए गए सभी धाराएं– 395, 397 भा0द0वि0 हैं। यह कि अभियुक्त उचित प्रति–भू का बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाएं। अभियेाजन जमानत का विरोध करते हैं।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह कि अभियुक्त पर लगाए सभी धाराएं– 395, 397 भा0द0वि0 हैं। यह कि अभियुक्त का संज्ञान से पूर्व दिनांक– 25/04/2015 को जमानत हुआ था एवं दिनांक– 07/05/2015 को बंध पत्र दाखिल किये थे यह कि अभियुक्त का पुनः संज्ञान के बाद दिनांक– 06/09/2016 को बंध पत्र खंडित हो गया। यह कि अभियुक्त दिनांक– 23/11/2019 से मंडलकारा में बंद है। अतः तथ्य एवं परिस्थितयों को देखते हुए मो0 10,000(दस हजार रूपए) के दो जामनत दारों का बंध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ इस शर्त के अभियुक्त वाद के आरोप गठन तक न्यायालय में प्रत्येक तिथि को सःदेह उपस्थित रहेंगे।

लेखापित

प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी